

2026:AHC:53251

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9576/2026

मत्स्य जीवि सहकारी समिति लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: भजू राम प्रसाद शर्मा, महेश कुमार सहानी

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी संख्या 5/बहुउद्देशीय मत्स्य सहकारी समिति के पक्ष में मत्स्याखेट अधिकारों की नीलामी से व्यथित होकर याची ने एक शिकायत प्रस्तुत की, जिस पर प्रतिवादी संख्या 3/उपजिलाधिकारी, तहसील कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर द्वारा दिनांक 07.01.2026 को प्रतिवादी संख्या 2/जिलाधिकारी, कुशीनगर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आज दिनांक तक प्रकरण में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
2. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 इस मामले में यथाशीघ्र निर्णय लेंगे।
3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/जिलाधिकारी, कुशीनगर को निर्देशित किया जाता है कि वह इस मामले में यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह के भीतर, यदि कोई विधिक बाधा न हो, सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, निर्णय ले।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026